समक्ष : न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर

प्र.कं. निगरानी /241/ I / 2017

देवीराम पुत्र जेल्या जाति बैरवा, निवासी ग्राम गलमान्या तह. बडौदा जिला श्योपुर मध्यप्रदेश

.............निगरानीकर्ता / आवेदकगण

बनाम

म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर, श्योपुर

...........गैरनिगरानीकर्ता / अनावेदक

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–50 म.प्र.भू.रा.सं.1959 विरूद्व कलेक्टर श्योपुर के प्र.कं. 02 / 2016–17 / अ–21 में पारित आदेश पत्रिता दिनांक 07.01.17 से व्यथीत होकर।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

निगरानी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :–

यह कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 की धारा 165 (7–ख) तथा 158(3) के तहत आवेदन पत्र ग्राम गलमान्या स्थित अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि सर्वे कं. 808 / 1मि.6 रकबा 1.045 हेक्टेयर के विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन दिनांक 29.11.16 को इस आधार पर प्रस्तुत किया कि प्रार्थी पर पारिवारिक खर्चो के कारण अत्यधिक कर्जा हो गया है। आवेदक ने परिवार में शादीयां, भात, इत्यादि में खर्चा करने के लिये कर्जा लेना पडा। आवेदक को उक्त भूमि से इतनी फसल भी नहीं होती है कि वह अपना कर्ज चुका सकें। प्रार्थी अपना कर्ज चुकाने के लिये अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि को विक्रय करने का निश्चत किया हैं आवेदक की उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में भूदान भूमिस्वामी विक्रय से वर्जित के रूप में दर्ज है। इसकारण से उक्त भूमि का विक्रय पत्र सम्पादित नहीं हो पा रहा था। जिस हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.11.16 को अपने अभिभाषक के माध्यम से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उस समय प्रार्थी के आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की

कमंशः............2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक 241–एक / 2017 निगरानी जिला श्योपुर

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि: आदि के हस्ताक्षर
7-12-18	प्रकरण प्रस्तुत । अवलोकन किया गया। यह निगरानी कलेक्टर श्योपुर व्दारा प्रकरण कमांक 2/16–17 अ–21 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 7–1–17 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है, जिसके व्दारा कलेक्टर श्योपुर ने आवेदक का भूमि विकय की अनुमति हेतु दिया गया आवेदन तहसीलदार बड़ौदा को जांच रिपोर्ट हेतु भेजा है। 2/ भू राजस्व संहिता, 1959 (नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25–9–18) की धारा 50 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप निगरानी राजस्व मण्डल में सुनवाई–योग्य नही रही है। कलेक्टर श्योपुर व्दारा पारित अंतरिम आदेश दिनॉक 7–1–17 के विरूद्व निगरानी आयुक्त/अपर आयुक्त को होगी। तद्नुसार आवेदक सक्षम न्यायालय में इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि लेकर निगरानी प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। भू राजस्व संहिता, 1959 (नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25–9–18) के अनुसार निगरानी सुनवाई योग्य न रहने से समाप्त की जाती है। सदस्य	